न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–178/2015
CIS No.-TS 382/2018

अशोक कुमार एवं अन्य...वादीगण
बनाम
अखिलेश प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
27.08.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.06.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–05 नसरूद्दीन मियां की मृत्यु दिनांक 05.09.2024 को हो चुका है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसान के रूप में अपनी विधवा पत्नी मु0 जमीला खातून, दो पुत्र इमरान अंसारी वो युसूफ अंसारी तथा दो पुत्रियां शबाना खातून वो अफसाना खातून को छोड़कर मरे है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी सं0–05 नसरूद्दीन मियां के नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन दिनांक 06.06.2025 का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया और कहा गया है कि वादीगण द्वारा अपने आवेदन में गलत उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी सं0–05 नसरूद्दीन मियां की मृत्यु दिनांक 05.09.2024 को हुई है। जबकि नसरूद्दीन मियां की मृत्यु दिनांक 07.09.2023 को हुई है, जिसकी सूचना प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में लिखित रूप में दिनांक 09.05.2024 को दी गई है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में मृतक के वारिसानों का नाम सही दिया गया है, परन्तु मृतक के लड़कियों शबाना खातून और अफसाना खातून के पति का नाम एवं ससुराल का पता नहीं दिया गया है। शबाना खातून के पति का नाम कादिर मियां है, परन्तु उनके ससुराल का पता प्रतिवादीगण को ज्ञात नहीं है। अफसाना खातून के पति का नाम गुलरेज अंसारी है तथा वह ग्राम सितवापुर, थाना–शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण के रहने वाले है। वादीगण द्वारा मृतक प्रतिवादी के वारिसानों का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु जानबुझकर विलम्ब से आवेदन दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी सं0–05 के विरूद्ध यह वाद स्वतः उपशामित हो चुका है। वादीगण द्वारा स्वतः उपसमन को अपास्त करने के संबंध में आवेदन विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है और न ही उल्लेखित तथाकथित कारण का कोई साक्ष्य दिया गया है। अतः श्रीमान् से	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–178/2015

CIS No.-TS 382/2018

अशोक कुमार एवं अन्य..वादीगण

बनाम

अखिलेश प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 27.08.2025	निवेदन है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 06.06.2025 को खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–05 नसरूद्दीन मियां की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.06.2025 स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादी सं0–05 नसरूद्दीन मियां का नाम वाद पत्र से कलमजद करते हुए उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादीगण प्रतिस्थापन करें। तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जॉँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 16.10.2025 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	